न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

आदेश

दिनांक - 09.03.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोष सिद्ध करते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा किया गया। मामला विचारणीय है, जिसका अंतिम निस्तारण किया जा चुका है। मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली नियमानुसार निस्तारण की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।